



न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice & Empowerment

भारत सरकार/Government of India

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364

5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364

Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No.13639/1024/2023

In the matter of:

Complainant: Shri Pankaj Shrivastava, LDC, Vehicle Factory Jabalpur (VFJ), 100% visually impaired.

Versus

1. Chief General Manager (Administration), Vehicle Factory Jabalpur.
2. The Director General of Ordnance, Directorate of Ordnance (C&S), Kolkata.

1. Gist of the Complaint

1.1 The Complainant, Shri Pankaj Shrivastava, a person with 100% blindness, has been employed as an LDC in the Hygiene Cell of Vehicle Factory Jabalpur since 2015. He filed a grievance on 24.08.2022 against the exclusion of the Blind category in the reservation for the post of Chageman (Stores) advertised through LDCE under Factory Order No. 332 dated 18.08.2022, which reserved the post only for Low Vision (LV). He contended this was contrary to the DEPwD Notification dated 04.01.2021, which identifies the post as suitable for both Blind (B) and Low Vision (LV) categories.

1.2 Relief sought: inclusion of the Blind category in the notified vacancies, opportunity to compete, and correction of the factory order.

2. Issue of Notice

2.1 A Notice dated 11.01.2023 was issued to the respondents under Sections 75 and 77 of the RPwD Act, 2016. Respondents were directed to file comments on an affidavit with supporting documents.

3. Reply made by Respondents

3.1 Respondents (the Directorate of Ordnance) clarified on 07.09.2022 that only LV was identified for Chargeman (Stores) and not Blind. They contended that the Complainant, as an LDC, had usual promotion avenues to UDC and Office Superintendent (OS) and that the LDCE for Chargeman was not his feeder channel.

4. Rejoinder filed by Complainant

4.1 The Complainant reiterated that only the DEPwD can decide suitability. He argued that the exclusion of the Blind violates Section 20 (3) of the RPwD Act, 2016. He stressed that under Note 4 of the DEPwD Notification 04.01.2021, once a feeder post is identified, all promotional posts in that line must also be deemed identified.

5. Record of Hearings:

5.1 Hearings were conducted on 15.03.2024 and 28.01.2025. The Commission observed that the complainant was permitted to apply but denied on the basis of blindness, which is inconsistent with Section 20 (3). Respondents failed to justify why a reasonable accommodation was not possible.

6. Observations:

6.1 Section 20 (3) of the RPwD Act, 2016 expressly prohibits the denial of promotion to a person with a benchmark disability merely on the ground of disability. The present denial to the complainant violates this statutory guarantee.

6.2 Note 4 of the DEPwD Notification dated 04.01.2021, containing the Gist of Recommendations of the Expert Committee, mandates that once a feeder cadre post is identified as suitable for a particular disability, the promotional post must also be deemed suitable. Hence, since the complainant's feeder post (LDC) is identified for the Blind category, the post of Chargeman (Stores) must also be deemed identified.

6.3 Respondents cannot exclude the Blind category without following the due process of exemption through the appropriate Ministry and DEPwD.

6.4 The argument that "normal promotion to OS is available" does not satisfy the requirements of Section 20(3) and Note 4, as equal access to all promotional avenues, including LDCE, must be preserved.

6.5 Supreme Court jurisprudence reinforces this interpretation:

(a) **Union of India v. National Federation of the Blind (2013)**

- Mandated strict adherence to reservation for PwDs.

(b) **Rajeev Kumar Gupta v. Union of India (2016)** - Held that reservation extends to promotions.

(c) **Om Rathod v. DGHS (2024)** - Affirmed functional assessment and reasonable accommodation as gateways to equality.

(d) **Rekha Sharma v. High Court of Rajasthan (2025)** - Directed appointment of a visually disabled candidate or creation of a supernumerary post, affirming substantive equality.

(e) **Onkar Gaud / Bijender Singh line (2025)** - Reiterated equitable treatment across disability categories in employment/pension matters.

6.6 Accordingly, exclusion of the Blind category from Chargeman

(Stores) under LDCE violates Section 20(3) of the RPwD Act and Note 4 of DEPwD Notification (04.01.2021), besides offending constitutional guarantees of equality.

7. Recommendations

7.1 Respondent No. 2 (Directorate of Ordnance) shall rectify its vacancy circular by including Blind category alongside LV for Chargeman (Stores) in LDCE recruitment, in conformity with Section 20(3) of the RPwD Act, 2016 and Note 4 of the DEPwD Notification (04.01.2021).

7.2 Respondent No. 1 (Vehicle Factory Jabalpur) shall allow the complainant to be considered for promotion through LDCE without discrimination.

7.3 The Respondents shall furnish an Action Taken Report (ATR) within three months from the date of receiving these Recommendations in accordance with Section 76 of the Act. Failure to furnish the ATR shall be a violation of the Act and also a punishable offence within the meaning of Section 93 of the Act. In such a situation, this Court may be constrained to take penal action as per Section 89 of the Act.

8. Obligations under the RPwD Act

8.1 Parties are reminded that under Section 76, they are bound to comply with these recommendations or furnish reasoned justifications for non-acceptance.

8.2 Non-compliance may invite action under Section 89 (penalty for contravention) and Section 93 (offences for false information, suppression of facts).

9. Conclusion

9.1 Accordingly, this case is disposed of.

(S. Govindaraj)
Commissioner for Persons with Disabilities

हिंदी संस्करण

प्रकरण संख्या: **13639/1024/2023**

विषय में

शिकायतकर्ता: श्री पंकज श्रीवास्तव, एल.डी.सी., वाहन फैक्ट्री जबलपुर, 100% दृष्टिबाधित।

बनाम

1. मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन), वाहन फैक्ट्री, जबलपुर।
2. महानिदेशक आयुध, आयुध निदेशालय (सी एंड एस), कोलकाता।

1. शिकायत का सार

1.1 शिकायतकर्ता श्री पंकज श्रीवास्तव, जो 100% दृष्टिबाधित हैं, वर्ष 2015 से वाहन फैक्ट्री जबलपुर के हाइजीन सेल में एल.डी.सी. के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने दिनांक 24.08.2022 को शिकायत दायर की जिसमें चार्जमैन (स्टोर्स) के पद हेतु एल.डी.सी.ई. के माध्यम से जारी फैक्ट्री आदेश संख्या 332 दिनांक 18.08.2022 में केवल लो विज़न (LV) श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया और ब्लाइंड (B) श्रेणी को शामिल नहीं किया गया। उनका कहना है कि यह कार्य 04.01.2021 की दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) अधिसूचना के विपरीत है, जिसमें उक्त पद को लो विज़न (LV) तथा ब्लाइंड (B) दोनों के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है।

1.2 उन्होंने प्रार्थना की है कि ब्लाइंड श्रेणी को भी अधिसूचित रिक्तियों में शामिल किया जाए, उन्हें प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए तथा फैक्ट्री आदेश को संशोधित किया जाए।

2. नोटिस का निर्गमन

2.1 दिनांक 11.01.2023 को प्रतिवादियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 75 एवं 77 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रत्युत्तर शपथपत्र के साथ सहायक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करें।

3. प्रतिवादियों का उत्तर

3.1 प्रतिवादियों ने कहा कि शस्त्र निदेशालय ने 07.09.2022 को स्पष्ट किया कि केवल लो विज़न (LV) को ही चार्जमैन (स्टोर्स) पद हेतु उपयुक्त घोषित किया गया है, ब्लाइंड (B) को नहीं। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता एल.डी.सी. के रूप में सामान्य पदोन्नति मार्ग से यू.डी.सी. तथा ऑफिस सुपरिन्टेन्डेंट (OS) तक पदोन्नत हो सकते हैं और चार्जमैन हेतु एल.डी.सी.ई. उनका फीडर चैनल नहीं है।

4. शिकायतकर्ता का प्रति-उत्तर (रिजॉइंडर)

4.1 शिकायतकर्ता ने दोहराया कि उपयुक्तता का निर्णय केवल DEPwD द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि ब्लाइंड श्रेणी को बाहर करना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20(3) का उल्लंघन है। उन्होंने बल दिया कि DEPwD अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 के नोट 4 के अनुसार यदि फीडर पद पहचाना गया है तो उस श्रेणी के सभी पदोन्नति पद भी स्वतः पहचाने हुए माने जाएंगे।

5. सुनवाई का अभिलेख

5.1 सुनवाई 15.03.2024 एवं 28.01.2025 को की गई। आयोग ने देखा कि शिकायतकर्ता को आवेदन की अनुमति दी गई थी परंतु केवल अंधत्व के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया, जो कि धारा 20(3) के विपरीत है। प्रतिवादी यह स्पष्ट करने में असफल रहे कि युक्तिसंगत सुविधा क्यों संभव नहीं है।

6. अवलोकन

6.1 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, २०१६ की धारा २०(३) विशेष रूप से बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से इनकार करने से रोकती है। वर्तमान में शिकायतकर्ता को इनकार करना इस वैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है।

6.2 04.01.2021 की डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज (डीईपीडब्ल्यूडी) अधिसूचना के नोट ४ में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का सार है, जिसमें कहा गया है कि एक बार फीडर कैडर पद को एक विशेष विकलांगता के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो पदोन्नति पद को भी उपयुक्त माना जाना चाहिए। इसलिए, चूंकि शिकायतकर्ता का फीडर पोस्ट (एलडीसी) ब्लाइंड श्रेणी के लिए पहचाना गया है, चार्जमैन (स्टोर्स) का पद भी पहचाना जाना चाहिए।

6.3 संबंधित मंत्रालय और डीईपीडब्ल्यूडी के माध्यम से छूट की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ब्लाइंड श्रेणी को बाहर नहीं किया जा सकता है।

6.4 तर्क कि "ओएस के लिए सामान्य पदोन्नति उपलब्ध है" धारा २०(३) और नोट ४ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, क्योंकि एलडीसीई सहित सभी पदोन्नति अवसरों तक समान पहुंच को संरक्षित किया जाना चाहिए।

6.5 सर्वोच्च न्यायालय का jurisprudence इस व्याख्या को मजबूत करता है:

(अ) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (२०१३) - दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का सख्त पालन अनिवार्य किया गया।

(ब) राजीव कुमार गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (२०१६) - माना गया कि आरक्षण पदोन्नतियों तक भी लागू होता है।

(स) ओम राठौड़ बनाम डीजीएचएस (२०२४) - कार्यात्मक मूल्यांकन और उचित आवास को समानता के द्वार के रूप में पुष्टि की गई।

(ड) रेखा शर्मा बनाम हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान (२०२५) - एक दृष्टिबाधित उम्मीदवार की नियुक्ति या एक सुपरन्यूमरी पद के निर्माण का निर्देश दिया गया, जो वास्तविक समानता की पुष्टि करता है।

(ई) ओंकार गौड़ / बिजेंद्र सिंह लाइन (२०२५) - रोजगार/पेंशन मामलों में दिव्यांगता श्रेणियों में समान व्यवहार को दोहराया गया।

6.6 तदनुसार, एलडीसीई के तहत चार्जमैन (स्टोर्स) से ब्लाइंड श्रेणी को बाहर करना धारा २०(३) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम और डीईपीडब्ल्यूडी अधिसूचना (०४.०१.२०२१) के नोट ४ का उल्लंघन करता है, इसके अलावा संवैधानिक समानता की गारंटी का भी उल्लंघन करता है।

7. अनुशंसाएँ

7.1 उत्तरदाता संख्या २ (निदेशालय आयुध) एलडीसीई भर्ती में चार्जमैन (स्टोर्स) के लिए ब्लाइंड श्रेणी को एलवी के साथ शामिल करके अपनी रिक्ति परिपत्र को सुधारित करेगा, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, २०१६ की धारा २०(३) और डीईपीडब्ल्यूडी अधिसूचना (०४.०१.२०२१) के नोट ४ के अनुरूप होगा।

7.2 उत्तरदाता संख्या १ (वाहन फैक्टरी जबलपुर) शिकायतकर्ता को बिना भेदभाव के एलडीसीई के माध्यम से पदोन्नति के लिए विचार करने की अनुमति देगा।

7.3 उत्तरदाता इन सिफारिशों को प्राप्त करने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करेंगे, जो अधिनियम की धारा ७६ के अनुसार होगा। एटीआर प्रस्तुत करने में विफलता अधिनियम का उल्लंघन होगा और धारा ९३ के अर्थ के भीतर एक दंडनीय अपराध भी होगा। ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय धारा ८९ के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सकता है।

8. RPwD अधिनियम के अंतर्गत दायित्व

8.1 पक्षकारों को याद दिलाया जाता है कि धारा ७६ के तहत, वे इन सिफारिशों का पालन करने या गैर-स्वीकृति के लिए तर्कसंगत औचित्य प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

8.2 अनुपालन न करने पर धारा ८९ (विपरीत के लिए दंड) और धारा ९३ (झूठी जानकारी, तथ्यों को दबाने के लिए अपराध) के तहत कार्रवाई हो सकती है।

9. निष्कर्ष

9.1 अतः यह मामला इस प्रकार निस्तारित किया जाता है।

(एस. गोविन्दराज)
आयुक्त, दिव्यान्जन